

मुकदमों का विवरण

प्रमोद कुमार मिश्रा बनाम।

यू. पी. राज्य

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 2710) सितंबर 04, 2023

[अभय एस. ओका और संजय करोल, जेजे।] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: अपीलार्थी ने यू/एस को दोषी ठहराया। 307 भारतीय दंड संहिता सी. और 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, चाहे निचली अदालत द्वारा दी गई सजा और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई सजा न्यायसंगत और उचित हो।

सजा/सजा-विचारण न्यायालय ने ए-2 (अपीलार्थी) यू/एस को दोषी ठहराया। 307 भारतीय दंड संहिता सी. और उसे 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई-उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषी ठहराने और सजा का आदेश-सजा की मात्रा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सीमित प्रश्न :

आयोजित किया गया: यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि सजा सुनाते समय, किसी न्यायालय की उत्तेजक और कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए-सजा की तारीख को 39 साल बीत चुके हैं और दोनों अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है-यह रिकॉर्ड का विषय है कि शिकायतकर्ता और ए 1 के बीच उस भूमि के टुकड़े के संबंध में पुरानी दुश्मनी थी जहां अपराध किया गया था, जबकि विशेष रूप से, अपीलार्थी (ए 2) ए 1 का भतीजा है-अपीलार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है जिसे रिकॉर्ड पर लाया गया है-इसके अलावा, रिकॉर्ड से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने पूर्व नियोजित तरीके से काम किया-इसलिए, न्याय के हित में और [पारस 21, 22, 23] 387

386

प्रमोद कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

शहरों और
अन्य संदर्भों
की सूची

जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 1 एससीसी 20: [1973] 2 एस. सी. आर. 541-अनुसरण किया गया।

मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1977) 3 एससीसी 287:[1978] 1 एस. सी. आर. 153; नरिंदर सिंह और अन्य। V. पंजाब राज्य और अन्न। (2014)

6 एससीसी 466:[2014 (4) एससीआर 1012-पर निर्भर।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार (2012) 8 एससीसी 537:[2012] 7 एससीआर 359; पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे और अन्न बनाम महाराष्ट्र राज्य

(2015) 6 एससीसी 652:[2015] 5 एस. सी. आर. 1112; जसबीर सिंह बनाम तारा सिंह और अन्य। (2016) 16 एससीसी 441:[2015] 10 एस. सी. आर. 61; वेट्रिवेल बनाम राज्य

पुलिस उपाधीक्षक और एएनआर। 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 73; पनीर सेल्वम बनाम तमिलनाडु राज्य 2023 की आपराधिक अपील संख्या 871-निर्दिष्ट।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील No.2710।

1987 के सी. आर. एल. ए. No.679 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.04.2019 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

विनोद प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय कुमार श्रीवास्तव, धीरेंद्र कुमार, बिजेन्द्र सिंह, सुश्री ज्योति तिवारी, श्रीमती सन्नो कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

गर्वेश काबरा, शांतनु सिंह, अधिवक्ता। प्रत्यर्थियों के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय
का
निर्णय/आदेश
निर्णय

संजय करोल जे।

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपील इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और दिनांक 19.04.2019 आदेश से उत्पन्न होती है।

388

/

1987 की आपराधिक अपील संख्या 679 में, जिसने द्वितीय अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित 03.03.1987 दिनांकित निर्णय और आदेश को स्वीकार किया। जिला और सत्र न्यायाधीश वाराणसी (इसके बाद "ट्रायल कोर्ट"), जिसके माध्यम से वर्तमान अपीलार्थी, प्रमोद कुमार मिश्रा को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (इसके बाद "आई. पी. सी.") के अंतर्गत दोषी ठहराया गया और उन्हें 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सह-अभियुक्त जवाहर और सुरेश को विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया था।

3. इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से नोटिस जारी किया था, जो अपीलार्थी को दी गई सजा के प्रश्न तक सीमित था। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या निचली अदालत द्वारा दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई सजा न्यायसंगत और उचित है?

4. रिकॉर्ड से सामने आया अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि नीचे दी गई अदालतों द्वारा निर्धारित किया गया है, यह है कि 12.08.1984 पर, कपिल देव मिसिर (इसके बाद "PW1") लगभग 6 बजे अपने घर लौट रहा था:00 जब उन्होंने प्रमोद कुमार मिश्रा और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों को अरहर और जुन्हारी की फसलों को नष्ट करते हुए देखा। यह देखकर, पीडब्लू1 ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण इन सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने उन पर हमला किया, जो हथियारों यानी लाठियों और बल्लम से लैस थे। इस हमले के परिणामस्वरूप पीडब्लू1 को गंभीर चोटें आईं और वह बेहोश हो गया। इसके बाद, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत 1984 का एफ. आई. आर. मामला अपराध No.67 उसी दिन 7 बजे दर्ज किया गया:30 जवाहर @मुन्ना मिश्रा (ए 1), प्रमोद मिश्रा (ए 2, वर्तमान अपीलार्थी) और सुरेश मिश्रा (ए 3) के खिलाफ पीडब्लू1 द्वारा सुबह।

5. जाँच एस. आई. गौरी शंकर सिंह (इसके बाद "पीडब्लू 7") द्वारा की गई थी, जिन्होंने जाँच पूरी करने के बाद जवाहर @मुन्ना मिश्रा (ए 1), प्रमोद मिश्रा (ए 2, वर्तमान अपीलार्थी) और सुरेश मिश्रा (ए 3) के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने मामला 1985 की एस. टी. संख्या 51 के रूप में दर्ज किया और मुकदमे को आगे बढ़ाया। अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 307 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए थे।

6. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए सात गवाहों से पूछताछ की। पीडब्लू1-कपिल देव मिसिर घायल शिकायतकर्ता हैं। पीडब्लू2-डूथनाथ और पीडब्लू3-अर्जुन सिंह कथित घटना के चश्मदीद गवाह हैं। पीडब्लू 4-डॉ. रामजी पांडे ने शिकायतकर्ता की चिकित्सा जांच की और 389

तैयार चोट रिपोर्ट पूर्व। केए-2।पीडब्लू 5-डॉ. बरार सिंगूर और पीडब्लू 6-डॉ. एस. के. सिंह घायल शिकायतकर्ता की चिकित्सा जांच और एक्स-रे के दौरान मौजूद थे। जाँच अधिकारी की जाँच पीडब्लू 7 के रूप में की गई थी। 7.अपीलार्थी ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत अपने बयान में इस तरह का अपराध करने से इनकार किया और कहा कि मामला पुरानी दुश्मनी के कारण दर्ज किया गया था।

8. पक्षकारों को सुनने के बाद, विचारण न्यायालय ने ए 2-प्रमोद कुमार मिश्रा को भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत दोषी ठहराया और उन्हें 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। ए 1-जवाहर और ए 3-सुरेश को दोषी नहीं पाए जाने पर बरी कर दिया गया। विचारण विचारण न्यायालय के निर्णय इस प्रकार थे कि:

ए। शिकायतकर्ता पीडब्लू 1 का बयान कि प्रमोद ने 6 बजे उन पर बल्लम से हमला किया था: 00 12.08.1994 पर AM की पूरी तरह से दस्तावेजी साक्ष्य (एफ़. आई. आर. एक्स.) द्वारा पुष्टि की जाती है। केए-1 और चिकित्सा परीक्षा एक्स। के. ए.-2) और पी. डब्ल्यू. 4 की चिकित्सकीय राय-डॉक्टर कि चोट शायद उस बल्लम के कारण हुई होगी जो उन्हें न्यायालय में दिखाई गई थी। इसके अलावा, पीडब्लू 2-दूधनाथ सिंह और पीडब्लू 3-अर्जुन सिंह की गवाही पूरी तरह से पीडब्लू 1 की गवाही की पुष्टि करती है। इन बयानों पर केवल इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कपिल देव के करीबी दोस्त हैं।

9. तथ्य, दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश वर्तमान अपीलार्थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2019 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से लागू किया गया है।

10. हमारे दिनांकित 10.02.2023 आदेश को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील को केवल सजा की मात्रा के रूप में माना जाना आवश्यक है।

11. यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि सजा देते समय, किसी मामले को बढ़ाने और कम करने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

12. जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (5-न्यायाधीशों की पीठ) मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने मृत्युदंड की संवैधानिकता के मुद्दे पर विचार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इसे बढ़ाना और कम करना

.(1973) 1 एससीसी 20

/

[2023] 14 एस सी आर।

एक दोषी को सजा देने में परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। परिणाम प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

13. भारत में आज तक कोई वैधानिक सजा देने की नीति नहीं है। हालाँकि, यह न्यायालय सजा सुनाने के पीछे के उद्देश्य और इस तरह के आरोप लगाते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों की जांच करने के लिए आगे बढ़ा है।

सजाएँ। मोहम्मद गियासुद्दीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2

(2-न्यायाधीश पीठ) ने यह मत व्यक्त किया कि: “9. अपराध एक रोग संबंधी विचलन है, जिसे अपराधी को सामान्य रूप से भुनाया जा सकता है, जिसका राज्य को बदला लेने के बजाय पुनर्वास करना पड़ता है। समाज-विरोधी व्यवहार की ओर ले जाने वाली उप-संस्कृति का मुकाबला अनुचित क्रूरता से नहीं बल्कि पुनः संस्कृति द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए, पेनोलॉजी में रुचि का केंद्र व्यक्ति है और लक्ष्य उसे समाज के लिए बचाना है। इस प्रकार कठोर और क्रूर दंड का प्रलोभन अतीत और प्रतिगामी समय का एक अवशेष है। मानव आज सजा को एक ऐसे व्यक्ति को फिर से आकार देने की प्रक्रिया के रूप में देखता है जो आपराधिकता में बिगड़ गया है और आधुनिक समुदाय की सामाजिक रक्षा के साधन के रूप में अपराधी के पुनर्वास में प्राथमिक हिस्सेदारी है। इसलिए, हम मानते हैं कि हमारे आपराधिक न्यायालयों में “इन टेरोरम” दृष्टिकोण के बजाय एक उपचारात्मक दृष्टिकोण प्रबल होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को क्रूरता से कैद करने से उसके दिमाग में केवल घाव पैदा होता है।

... न्या।

16. एक उचित सजा कई कारकों का समामेलन है जैसे कि बंद करने की प्रकृति, बंद करने की परिस्थितियाँ, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई हो, तो बंद करने वाले की उम्र, बंद करने वाले का रिकॉर्ड, रोजगार के रूप में बंद करने वाले का रिकॉर्ड, शिक्षा के संदर्भ में बंद करने वाले की पृष्ठभूमि, घरेलू जीवन, संयम और सामाजिक समायोजन, बंद करने वाले की भावनात्मक और मानसिक स्थिति, बंद करने वाले के पुनर्वास की संभावनाएँ, बंद करने वाले की समुदाय में सामान्य जीवन में वापसी की संभावना, बंद करने वाले के उपचार या प्रशिक्षण की संभावना, यह संभावना कि सजा अपराध के लिए एक निवारक के रूप में काम कर सकती है।

(1977) 3 एससीसी 287 391

प्रमोद कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [संजय करोल जे.] 392

विशेष प्रकार के ऑफ एन्से के संबंध में। न्यायालय द्वारा उचित सजा पर निर्णय लेते समय इन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। 17. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि न्यायाधीश में एक बड़ा विवेकाधिकार निहित है, विशेष रूप से जब बहुलवादी कारक उसकी गणना में प्रवेश करते हैं। ... नवान्वेषण, पूरे विवेक से, न्यायिक विवेक के दायरे में है। ”

14. इसी तरह, नरिंदर सिंह और अन्य में। **V.** पंजाब राज्य और अन्न। **3.**

(2-न्यायाधीश पीठ) ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत पक्षकारों के बीच समझौते पर विचार करते हुए कहा:

आई. सजा सुनाने का लक्ष्य अक्षमता, विशिष्ट प्रतिरोध, सामान्य प्रतिरोध, पुनर्वास या बहाली का एक संयोजन हो सकता है।

ii. भारत में आज तक ऐसी कोई सजा देने की नीति नहीं है। इस तरह के दिशानिर्देशों की व्यापकता का उद्देश्य न केवल अलग-अलग मामलों में सजा देने में निरंतरता प्राप्त करना हो सकता है, ऐसे दिशानिर्देश आम तौर पर सजा देने की नीति भी निर्धारित करते हैं, अर्थात्, क्या किसी विशेष मामले में सजा देने का उद्देश्य निवारण या प्रतिशोध या पुनर्वास आदि से अधिक है। भारत में इस तरह के दिशानिर्देशों के अभाव में, न्यायालय अपराध की विशेष प्रकृति के लिए कुछ विशिष्ट दंडात्मक परिणामों के प्रिस्क्रिप्शन के पीछे के दर्शन के बारे में अपनी धारणा से चलते हैं।

iii. कुछ निरोध और/या प्रतिशोध के लिए अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि दूसरे न्यायाधीश को सजा सुनाने के लक्ष्य के रूप में पुनर्वास या बहाली द्वारा अधिक प्रभावित किया जा सकता है। कभी-कभी, यह दोनों का एक संयोजन होता है जो किसी विशेष सजा देने में न्यायालय के दिमाग में भारी पड़ता है। हालाँकि, यह मात्रा का प्रश्न हो सकता है।

15. उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजय कुमार 4 (2-न्यायाधीश पीठ) में,

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को न्यायसंगत और उचित सजा तय करने के उद्देश्य से, उत्तेजक और शमनकारी कारकों को नाजुक रूप से संतुलित करना होगा

(2014) 6 एससीसी 466 (2012) 8 एससीसी 537

/

[2023] 14 एस सी आर।

और ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें कोई अपराध किया गया हो। इन दोनों को संतुलित करना न्यायालयों का प्राथमिक कर्तव्य है।

16. इस न्यायालय ने कुछ श्रेणियों के मामलों में दंड के माध्यम से निरोध की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया है। पुरुषोत्तम दशरथ में

बोराटे एंड एन. आर. वी. महाराष्ट्र राज्य **5 (3-न्यायाधीशों की पीठ)** ने यह मत व्यक्त किया

कि इस न्यायालय के लिए महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हिंसक अपराधों पर ध्यान देना आवश्यक होगा और ऐसे मामलों में न्यायालयों द्वारा अपनाई गई सजा नीति का एक सख्त पैमाना होना चाहिए ताकि एक निवारक के रूप में कार्य किया जा सके।

17. हाल ही में, जसबीर सिंह बनाम तारा सिंह और अन्य में। 6 (2-न्यायाधीश)

पीठ), इस न्यायालय ने कहा कि राज्य के लिए सजा देने की नीति के अभाव में सजा पर सख्त सिद्धांत होना संभव नहीं है, हालांकि कुछ कम करने वाले कारक जैसे कि अपराध की गंभीरता, अपराध करने का उद्देश्य, जिस तरह से यह किया गया था, उसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है और उसके बाद सजा दी जानी चाहिए।

18. वेट्रिवेल बनाम राज्य में, जिसका प्रतिनिधित्व उसके उपाधीक्षक द्वारा किया जाता है।

पुलिस और एन. आर. 7, 2 न्यायाधीशों की एक पीठ, जिसमें हममें से एक (ओ. के. जे.) सदस्य थे, ने भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 323 के अंतर्गत अपीलार्थी की सजा को 3 साल से घटाकर 1 साल के कारावास तक कर दिया, जिसमें इस तथ्य सहित विभिन्न शमनकारी कारकों पर विचार किया गया कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच उनके दुकान परिसर के कब्जे को लेकर पहले झगड़ा हुआ था।

19. हाल ही में फिर से, यह न्यायालय पनीर सेल्वम बनाम तमिल राज्य मामले में

8 (2-न्यायाधीशों की पीठ) ने न्याय के हित में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 304 (2) के अंतर्गत मूल सजा को 7 साल से घटाकर 5 साल कर दिया क्योंकि अपीलार्थी की ओर से कोई पूर्व विचार नहीं किया गया था।

20. तथ्यों पर आते हुए, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत हत्या का प्रयास एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 10 साल तक की कैद की सजा है और यदि किए गए कार्य से व्यक्ति को चोट लगी है, तो सजा आजीवन कारावास और जुर्माना या दोनों तक हो सकती है।

5 (2015) 6 एससीसी 652 6 (2016) 16 एससीसी 441

7 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 73

8 2023 393 की आपराधिक अपील संख्या 871

प्रमोद कुमार मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [संजय करोल जे।]

21. पक्षकारों की ओर से पेश वकील द्वारा की गई दलीलों और नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जा सकता है कि अवकाश की तारीख को 39 साल बीत चुके हैं और दोनों अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है। आक्षेपित आदेश के पढ़ने से, यह रिकॉर्ड की बात है कि शिकायतकर्ता और ए 1 के बीच उस भूमि के टुकड़े

के संबंध में पुरानी दुश्मनी थी, जहां अपराध किया गया था, जबकि विशेष रूप से, अपीलार्थी (ए2) ए1 का भतीजा है।

22. अपीलार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है जिसे अभिलेख पर लाया गया है। इसके अलावा, अभिलेख से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी ने पूर्व नियोजित तरीके से काम किया, जो भी हो।

23. इसलिए, न्याय के हित में और उपर्युक्त कम करने वाले कारकों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय अपीलार्थी-अभियुक्त पर लगाई गई सजा को 5 साल के कठोर कारावास से घटाकर 3 साल के कठोर कारावास में बदल देता है। अपीलार्थी आज से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर Rs.50,000/- (पचास हजार रुपये) की एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा। एफ. आई. एन. ई. के भुगतान में चूक होने पर, अपीलार्थी को 3 महीने के लिए कठोर कारावास से गुजरना होगा। शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में शुल्क का भुगतान किया जाना है। 24. उपर्युक्त शर्तों में अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है। अपीलार्थी को अपनी सजा की शेष अवधि से गुजरने का निर्देश दिया जाता है। 25. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की आंशिक रूप से अनुज्ञात है।

अंकित ज्ञान